भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 141

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**ग्रामीण पर्यटन का संवर्धन**

**141 श्री राजिन्दर गुप्ता:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन हेतु सक्रिय कदम उठा रही है, जिसके माध्यम से प्रामाणिक ग्रामीण अनुभवों, स्थानीय हस्तशिल्पों तथा होमस्टे को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो होमस्टे हेतु दिशा-निर्देशों तथा विपणन अभियानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अवसंरचना तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित क्या-क्या चुनौतियाँ हैं; और

(ङ) ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन के संदर्भ में सतत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। जारी गतिविधियों के तहत; ग्रामीण होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन का कार्य भी किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर प्रचारों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का नियमित रूप से संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स के वर्गीकरण की अपनी स्वैच्छिक योजना के तहत देश में होमस्टे सुविधाओं का वर्गीकरण करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण परिपथ को अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक विषयगत परिपथ के रूप में चिह्नित किया है। ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए

परियोजनाओं/प्रस्तावों की परिपथ के तहत विकास के लिए पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी एवं उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया है।

राष्ट्रीय कार्यनीति में स्थायी पर्यटन के लिए पर्यावरणीय स्थिरता एक प्रमुख स्तंभ हैं, जिसे मंत्रालय द्वारा तैयार कर राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया है। इस कार्यनीति के अनुरूप, पर्यटकों एवं पर्यटन संबंधी व्यवसायों को स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "ट्रैवल फॉर लाइफ" कार्यक्रम शुरू किया गया।

सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के भाग के रूप में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होम-स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी है। उक्त पहल में 1000 होमस्टे का विकास शामिल है, जिसके तहत प्रति यूनिट 5 लाख रुपये तक (नव निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये तक (नवीनीकरण के लिए) एवं ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

*****